



## बाल श्रम और मानवाधिकार: एक राजनीतिक विमर्श

कुसुम गोयल<sup>1</sup> | डॉ. जुल्फिकार<sup>2</sup>

<sup>1</sup>शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़ (राजस्थान).

<sup>2</sup>सह-आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़ (राजस्थान).

### ABSTRACT:

“बाल श्रम और मानवाधिकार एक राजनीतिक विमर्श” यह स्पष्ट करता है कि बाल श्रम केवल आर्थिक विवशता का परिणाम नहीं, बल्कि यह एक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन और राजनीतिक विफलता का संकेत है। जब बच्चे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन जैसे मूल अधिकारों से वंचित होकर श्रम करने को विवश होते हैं, तो यह सीधे-सीधे उनके अधिकारों का हनन है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित बाल अधिकार मानकों के अनुसार प्रत्येक बच्चे को शोषण से मुक्त जीवन और समुचित विकास का अधिकार प्राप्त है, किंतु इसके बावजूद विकासशील देशों, विशेषकर भारत में, बाल श्रम एक व्यापक और जटिल समस्या के रूप में विद्यमान है। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह स्पष्ट होता है कि राज्य की नीतियाँ, कानून और उनका क्रियान्वयन इस समस्या के समाधान में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, परंतु प्रशासनिक कमजोरी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव के कारण ये प्रयास अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाते। साथ ही, सामाजिक-आर्थिक असमानता, गरीबी और अशिक्षा इस समस्या को और अधिक गहरा बनाती हैं। यह विमर्श इस तथ्य को भी रेखांकित करता है कि बाल श्रम के पीछे केवल आर्थिक कारण ही नहीं, बल्कि सत्ता संरचना, हित समूहों का प्रभाव तथा नीतिगत प्राथमिकताओं की कमी भी उत्तरदायी है। अतः इसके उन्मूलन हेतु आवश्यक है कि सरकार प्रभावी नीतियों का निर्माण करे, उनका कठोर क्रियान्वयन सुनिश्चित करे तथा शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा दे, ताकि प्रत्येक बच्चे को उसके मूल अधिकार प्राप्त हो सकें और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके।

### KEYWORDS:

बाल श्रम, मानवाधिकार, राजनीतिक विमर्श, सामाजिक न्याय, गरीबी, शिक्षा, बाल अधिकार, शासन, नीति क्रियान्वयन, असमानता।

### PAPER ACCEPTED DATE:

25<sup>th</sup> February 2026

### PAPER PUBLISHED DATE:

27<sup>th</sup> February 2026

### प्रस्तावना –

बाल श्रम केवल एक सामाजिक या आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और राजनीतिक व्यवस्था से गहराई से जुड़ा हुआ एक जटिल प्रश्न है। जब कोई बच्चा अपनी आयु के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करने, स्वस्थ जीवन जीने और सुरक्षित बचपन का आनंद लेने के बजाय कठिन परिस्थितियों में श्रम करने को विवश होता है, तो यह न केवल उसके बचपन का हनन है, बल्कि उसके मूलभूत मानवाधिकारों का भी स्पष्ट उल्लंघन है। आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों में बच्चों को राष्ट्र का भविष्य और मानव संसाधन का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है, फिर भी वास्तविकता यह है कि बड़ी संख्या में बच्चे आज भी विभिन्न असंगठित और खतरनाक कार्यों में संलग्न हैं। यह स्थिति इस तथ्य को उजागर करती है कि हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएँ अभी भी समानता, न्याय और गरिमा जैसे मूल्यों को पूर्णतः स्थापित नहीं कर पाई हैं।

राजनीति शास्त्र के दृष्टिकोण से बाल श्रम का अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें यह समझने में सहायता करता है कि राज्य की नीतियाँ, कानून, प्रशासनिक संरचनाएँ और सत्ता संबंध किस प्रकार इस समस्या को उत्पन्न करते हैं, बनाए रखते हैं अथवा इसके समाधान में सहायक होते हैं। स्पष्टतः बाल श्रम केवल संसाधनों की कमी का परिणाम नहीं है, बल्कि यह शासन की प्रभावशीलता, नीति-निर्माण की प्राथमिकताओं और राजनीतिक इच्छाशक्ति से भी गहराई से प्रभावित होता है।

### बाल श्रम और मानवाधिकार का संबंध –

हर बच्चे को जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और गरिमामय जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। ये अधिकार केवल नैतिक आदर्श नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और संरक्षित अधिकार हैं। संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार अभिसमय (UNCRC) के अनुसार बच्चों को किसी भी प्रकार के आर्थिक

शोषण तथा ऐसे कार्यों से संरक्षित किया जाना चाहिए, जो उनके समुचित विकास में बाधा उत्पन्न करें।

बाल श्रम इन अधिकारों के प्रत्यक्ष उल्लंघन के रूप में सामने आता है। जब कोई बच्चा कार्य में संलग्न होने के कारण विद्यालय नहीं जा पाता, तो उसका शिक्षा का अधिकार प्रभावित होता है, जिससे उसके भविष्य की संभावनाएँ सीमित हो जाती हैं। इसी प्रकार, असुरक्षित और कठिन परिस्थितियों में कार्य करने से उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मानसिक स्तर पर भी बाल श्रम बच्चों में भय, तनाव और असुरक्षा की भावना उत्पन्न करता है, जिससे उनका भावनात्मक और सामाजिक विकास बाधित होता है। स्पष्ट है कि बाल श्रम केवल आर्थिक विवशता का परिणाम नहीं, बल्कि यह सामाजिक असमानता, गरीबी, अशिक्षा और राजनीतिक उपेक्षा का सम्मिलित परिणाम है। अतः इसके समाधान के लिए एक समग्र और मानवाधिकार-आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

### राजनीतिक दृष्टिकोण से बाल श्रम –

राजनीति शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में बाल श्रम शासन, नीति-निर्माण और सत्ता संरचना से संबंधित एक गंभीर मुद्दा है। यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जब सरकारों द्वारा बाल श्रम को रोकने के लिए विभिन्न कानून और नीतियाँ बनाई गई हैं, तब भी यह समस्या क्यों बनी हुई है। इसका उत्तर मुख्यतः क्रियान्वयन की कमजोरी, प्रशासनिक अक्षमता और राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में निहित है। भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए विभिन्न कानून लागू किए गए हैं, किंतु इनका प्रभाव सीमित दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि नीति और व्यवहार के बीच एक स्पष्ट अंतर विद्यमान है। कागजों पर योजनाएँ प्रभावशाली प्रतीत होती हैं, परंतु जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार, संसाधनों की कमी और प्रशासनिक लापरवाही इनके प्रभाव को कम कर देती है।

इसके अतिरिक्त, सत्ता संरचना भी इस समस्या को प्रभावित करती है। समाज के कमजोर और वंचित वर्गों की समस्याएँ कई बार नीति-निर्माण में प्राथमिकता नहीं बन पाती, जिसके परिणामस्वरूप बाल श्रम जैसी समस्याएँ निरंतर बनी रहती हैं।

### बाल श्रम के पीछे राजनीतिक कारण –

बाल श्रम के पीछे कई गहरे राजनीतिक और संरचनात्मक कारण कार्य करते हैं। गरीबी और बेरोजगारी इस समस्या के प्रमुख कारण हैं, किंतु ये केवल आर्थिक स्थितियाँ नहीं, बल्कि नीतिगत विफलताओं का भी परिणाम हैं। जब सरकार पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करा पाती, तब परिवार आर्थिक दबाव में बच्चों को श्रम में प्रवृत्त करते हैं। शिक्षा व्यवस्था की कमजोरी भी बाल श्रम को बढ़ावा देती है। जब शिक्षा सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और आकर्षक नहीं होती, तब बच्चे विद्यालय छोड़कर कार्य की ओर उन्मुख हो जाते हैं। इसी प्रकार, राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव इस समस्या को और जटिल बना देता है, क्योंकि कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाता।

इसके अतिरिक्त कुछ उद्योगों और व्यवसायों द्वारा सस्ते श्रम की मांग भी बाल श्रम को बढ़ावा देती है, जो हित समूहों के प्रभाव को दर्शाता है। इस प्रकार आर्थिक हित कई बार मानवाधिकारों पर हावी हो जाते हैं।

### अंतरराष्ट्रीय प्रयास और भारत की स्थिति –

बाल श्रम एक वैश्विक समस्या है, जिसके समाधान हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रयास किए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए कई संधियाँ एवं कार्यक्रम लागू किए हैं, जिनका उद्देश्य बच्चों को शोषण से मुक्त कर उनके अधिकारों की रक्षा करना है। भारत ने भी इन प्रयासों को अपनाया है और कई योजनाएँ लागू की हैं, किंतु इसके बावजूद चुनौतियाँ बनी हुई हैं। विशेष रूप से ग्रामीण और असंगठित क्षेत्रों में बाल श्रम अधिक देखने को मिलता है, जहाँ निगरानी तंत्र अपेक्षाकृत कमजोर होता है।

### समाधान: एक राजनीतिक दृष्टिकोण –

बाल श्रम की समस्या के समाधान के लिए एक समन्वित एवं बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। शिक्षा को निःशुल्क, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे बच्चों को श्रम के स्थान पर विद्यालय की ओर आकर्षित किया जा सके। साथ ही, गरीब परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु रोजगार के अवसरों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार करना आवश्यक है। कानूनों का सख्त क्रियान्वयन, प्रशासनिक जवाबदेही तथा प्रभावी निगरानी तंत्र इस समस्या को नियंत्रित करने में सहायक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, समाज में जागरूकता बढ़ाना और स्थानीय स्तर पर समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना भी अत्यंत आवश्यक है।

### निष्कर्ष –

बाल श्रम केवल एक साधारण सामाजिक या आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह मानवाधिकारों के उल्लंघन, सामाजिक असमानता और राजनीतिक विफलताओं का संयुक्त परिणाम है। जब कोई बच्चा अपने बचपन के अधिकारों जैसे – शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन से वंचित होकर श्रम करने को विवश होता है, तो यह न केवल उसके व्यक्तिगत विकास को बाधित करता है, बल्कि समाज के समग्र विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। इस दृष्टि से बाल श्रम का अस्तित्व किसी भी लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य के लिए एक गंभीर चुनौती है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि भारत में बाल श्रम उन्मूलन के लिए अनेक कानून, नीतियाँ और

योजनाएँ लागू की गई हैं, तथापि उनका प्रभावी क्रियान्वयन अभी भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है। प्रशासनिक शिथिलता, भ्रष्टाचार, संसाधनों की कमी तथा राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव के कारण नीति और व्यवहार के बीच एक गहरा अंतर दिखाई देता है। साथ ही, सामाजिक-आर्थिक असमानता, गरीबी और अशिक्षा जैसी संरचनात्मक समस्याएँ इस चुनौती को और अधिक जटिल बना देती हैं।

इसके अतिरिक्त, यह भी ध्यान देने योग्य है कि बाल श्रम के पीछे केवल आर्थिक विवशता ही नहीं, बल्कि सत्ता संरचना, हित समूहों का प्रभाव और नीतिगत प्राथमिकताओं की कमी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब तक नीति-निर्माण में वंचित वर्गों की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी और उनके हितों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तब तक बाल श्रम जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान संभव नहीं है। अतः आवश्यक है कि बाल श्रम को केवल गरीबी का परिणाम मानकर सीमित दृष्टि से न देखा जाए, बल्कि इसे मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझा जाए। इसके समाधान के लिए राज्य को शिक्षा को सार्वभौमिक और गुणवत्तापूर्ण बनाना होगा, गरीब परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल देना होगा तथा कानूनों के सख्त क्रियान्वयन के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ाना होगा।

एक न्यायपूर्ण और मानवीय समाज की स्थापना तभी संभव है, जब प्रत्येक बच्चे को उसका अधिकार – एक सुरक्षित, शिक्षित और सम्मानजनक बचपन प्राप्त हो सके। बाल श्रम का उन्मूलन केवल एक नीतिगत लक्ष्य नहीं, बल्कि एक नैतिक एवं संवैधानिक दायित्व है, जिसे पूरा करना राज्य और समाज दानों की साझा जिम्मेदारी है।

## REFERENCES

1. त्रेजे, जीन, सेन, अमर्त्य, (2002): भारत: विकास और सहभागिता, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, पृ.145-160।
2. मिश्रा, एस.एन., पुरी, वी.के., (2018): भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुंबई, पृ. 523-540।
3. शर्मा, आर.एन., (2016): भारतीय समाज की समस्याएँ, अटलांटिक पब्लिशर्स, नई दिल्ली, पृ. 210-225।
4. सिंह, योगेंद्र (2012): भारतीय समाज में परिवर्तन, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पृ. 98-120।
5. संक्षेपा, आर.सी. (2015): सामाजिक समस्याएँ और समाधान, साहित्य भवन, आगरा, पृ. 175-90।
6. भारत सरकार(2016): बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली, पृ. 1-15।
7. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (2018): बाल अधिकार और संरक्षण रिपोर्ट, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 30-55।